कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट

दिनांक- 12.04.2026

- **चन्दौली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध निरन्तर कार्यवाही जारी।**
- **थाना मुगलसराय पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 400 ग्राम अवैध हिरोइन के साथ बाराबंकी निवासी 02 शातिर तस्कर गिरफ्तार।**
- **सब्जी के झोले में छिपाकर बाराबंकी से तस्करी कर वाराणसी के रास्ते ले जाई जा रही थी मादक पदार्थ की खेप।**
- **बरामद अवैध हिरोइन की कीमत लगभग 50 लाख रूपयें ।**

चन्दौली- अपर पुलिस महामहानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया व पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी श्री वैभव कृष्ण के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आकाश पटेल द्वारा मादक पदार्थ तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर, अरूण कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मुगलसराय विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना मुगलसराय पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर पड़ाव चौराहे के पास से 400 ग्राम अवैध हेरोइन की बरामदगी करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 165/2026 धारा 8/21 NDPS Act के तहत पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही-

दिनांक 12.04.2026 को थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पड़ाव चौराहे के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तारा किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से सब्जी वाले छोले में से सब्जी के नीचे से 400 ग्राम अवैध हिरोइन बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों की

पहचान गंगाराम वर्मा पुत्र स्व0 सूरज लाल, निवासी ग्राम नेउला, थाना मसौली, जिला बाराबंकी व नीरज वर्मा पुत्र राम प्रसाद वर्मा, निवासी ग्राम नेउला, थाना मसौली, जिला बाराबंकी के रूप में हुई। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे बाराबंकी से एक अनजान व्यक्ति के कहने पर इसे लेकर आए थे और यहाँ पड़ाव चौराहे पर किसी अन्य व्यक्ति को देना था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

गंगाराम वर्मा पुत्र स्व0 सूरज लाल, निवासी ग्राम नेउला, थाना मसौली, जिला बाराबंकी।

नीरज वर्मा पुत्र राम प्रसाद वर्मा, निवासी ग्राम नेउला, थाना मसौली, जिला बाराबंकी।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 165/2026 धारा 8/21 NDPS Act, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

गंगाराम वर्मा का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 – 09/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

2.मु0अ0सं0 – 126/24 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

बरामदगी विवरण-

अवैध हेरोइन: 400 ग्राम

मोबाइल फोन: 02 रियल मी कंपनी

नगदी: कुल 240 रुपये

अन्य: सब्जी का झोला व सब्जियाँ